कार्यसूची सं.	**1**
बैठक का दिनांक	**10.08.2018**
बैठक सं.	**64**

दिनांक 15 मई, 2018 को आयोजित 63 वीं SLBC बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

- दिनांक **15 मई**, **2018** को आयोजित 63 वीं एस एल बी सी बैठक के कार्यवृत्त सभी संबंधित कार्यालयों को संप्रेषित किए गए हैं |

- सभा के द्वारा उपर्युक्त बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है क्योंकि इस संबंध में किसी भी कार्यालय /विभाग द्वारा किसी प्रकार के संशोधन हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नही हुआ है।

कार्यसूची सं.	2
बैठक का दिनांक	10.08.2018
बैठक सं.	64

पूर्व मे आयोजित एस एल बी सी बैठक में लिये गये निर्णय पर कृत कार्यवाही रिपोर्ट

राज्य सरकार से संबंधित मामले

क्र.स.	से लंबित	विषय	वर्तमान स्थिति
1	27.06.2018	सरकारी योजनाओं के लाभुकों के खाते में DBT द्वारा हस्तांतरित राशि का बकाये ऋण के विरुद्ध समायोजन	इस मुद्दे के निराकरण हेतु SLBC द्वारा राज्य सरकार की तरफ से एक पत्र DFS को प्रेषित किए जाने का आग्रह किया गया था ताकि इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट दिशा निर्देश बैंको को दिया जा सके और इस समस्या का स्थायी हल निकला जा सके | नवीनतम सूचना अप्राप्त |
2	15.06.2018	Dedicated Certificate Officer की नियुक्ति का मामला	Dedicated Certificate Officer एवं अन्य कर्मचारियों के कार्यालीय खर्चे की प्रतिपूर्ति बैंको द्वारा किये जाने के राज्य सरकार के सुझाव के अलोक में बैंको द्वारा लिए गए निर्णय से राज्य सरकार को अवगत करा दिया गया है | नवीनतम सूचना अप्राप्त |
3	11.06.2018	पंचायत भवन मुख्यालयों में ATM की व्यवस्था	दिनांक 08.06.2018 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बैंको को पंचायत भवनों में ATM लगाये जाने का निर्देश दिया गया था जिसपर बैंको ने आम सहमति से SLBC से यह आग्रह किया था कि राज्य सरकार यदि पंचायतों का चयन कर बैंको को जानकारी दें कि कहाँ कहाँ पर ATM लगाया जाना आवश्यक है तो इच्छुक बैंको द्वारा इस पर उचित कार्यवाही की जा सकती है | इस सम्बन्ध में SLBC द्वारा राज्य सरकार के विशेष कार्य पदाधिकारी से आग्रह किया गया था परन्तु अभी तक चयनित पंचायतों के नाम की list सरकार की तरफ से हमें उपलब्ध नहीं करायी गयी है |
4	23.07.2018	बैंको को सरकारी भूमि का आवंटन	राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में SLBC को 2 एकड़ सरकारी भूमि के आवंटन से सम्बन्धित सूचना दी गयी थी जिसके लिए कुल रु 7.12 करोड़ राशि के भुगतान की जानकारी दी गयी थी , परन्तु दिनांक 23.07.2018 को उपायुक्त ,रांची से प्राप्त पत्र में SLBC को 2.51 एकड़ भूमि दिए जाने एवं इसके लिए कुल लागत रु 17.95 करोड़ के भुगतान किये

			जाने की सूचना दी गयी है | हम राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में सही वस्तुस्थिति स्पष्ट किये जाने का आग्रह करते है | अन्य बैंको को आवंटित भूमि एवं इसके लिए निर्धारित मूल्य से सम्बंधित मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए राज्य सरकार के सम्बंधित विभाग द्वारा एक बैठक का आयोजन कराये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है |
5	27.11.2017	SARFAESI के अंतर्गत physical possession के लिए लंबित cases	कई बैंको से प्राप्त सूचना के आधार पर दिनांक 27.11.2017 को जिलावार pending cases की जानकारी राज्य सरकार को दी गयी थी | उनमे से अधिकतर मामले अभी भी जिले में लंबित है |
6	09.02.2017	वित्तीय शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में	पिछली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर RBI के सहायक महाप्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि CBSE, RBI, SEBI, IRDA एवं PFRDA के द्वारा वित्तीय शिक्षण पर तैयार किए गए वर्कबुक को राज्य के स्कूलों मे नियमित पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल कराया जाना है, जिसपर सरकार की ओर से इसे राज्य मे जल्द लागू कराये जाने का आश्वासन दिया गया था | नवीनतम सूचना अप्राप्त |

बैंक से संबधित मामले

बैंकों से संबंधित मामलों को 61वी SLBC की बैठक से SLBC द्वारा ATR के रूप में discuss किये जाने का प्रावधान किया गया है | पिछली SLBC की 63 वीं बैठक के दौरान जिन मुद्दों पर चर्चा की गई थी, उन मुद्दों को सभी संबंधित बैंको एवं LDMs को उनके द्वारा उचित कार्यवाही करने के लिए ATR के format में भेजा गया था, जिससे संबंधित compiled रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है | इन मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के पूर्व उन बैंको एवं LDMs का उल्लेख जरुरी है जिन्होंने बार-बार लिखित एवं मौखिक आग्रह के बावजूद SLBC को ATR प्रेषित नहीं किया है | ये बैंक हैं- Bandhan Bank, Federal Bank, Indus Ind Bank, J & K Bank, Karur Vaisya Bank, Kotak Mahindra Bank, Laxmi Vilas Bank, South Indian Bank और Yes Bank.

विस्तृत रिपोर्ट पृष्ठ सं-2 (a) से 2 (e) पर संलग्न है |

कार्यसूची सं.	**3**
बैठक दिनांक	**10.08.2018**
बैठक सं.	**64**

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्वपूर्ण संकेतक

(Rs in crores)

Sl. No	KEY INDICATORS	30.06.2017	31.03.2018	30.06.2018	Bench Mark
1	**Deposit**	187378.77	198114.26	198214.28	
2	**Credit**	79655.39	85518.63	86863.17	
3	**Credit as per place of utilization* & RIDF****	27217.63	33957.45	30782.35	
4	**Total Credit**	106873.02	119476.08	117645.52	
5	**CD Ratio**	57.04	60.31	59.35	60
6	**Priority Sector Advances (PSA)**	39840.49	46528.36	45573.29	
7	**Share of PSA to Total Advances (%)**	50.02	54.40%	52.47	40
8	**Agricultural Advances**	12601.86	13485.92	13510.82	
9	**Share of Agricultural Advances to Total Advances (%)**	15.82	15.77%	15.55	18
10	**i.Micro & Small Enterprises Advance**	17828.03	21711.74	20323.37	
	ii. Share of Micro & Small Enterprises to Total Advances (%)	22.38	25.38%	23.44	
	iii. Share of Micro Enterprises in MSE	57.45	58.34%	59.90	
11	**Advances to Weaker Sections**	14712.02	14852.75	14937.72	
12	**Share of Weaker Section Advances to Total Advances (%)**	18.46	17.37%	17.19	10
13	**DRI Advances**	38.78	42.19	31.15	
14	**Share of DRI Advances to Total Advances of last March (%)**	0.04	0.05%	0.04	1
15	**Advances to Women**	9451.92	11269.86	11455.11	
16	**Share of advances to women in Total advances (ANBC) (%)**	11.86	13.18%	13.19	5
17	**Advances to Minorities (Amount)**	5646.36	5620.21	5806.86	
18	**Share of Advances to Minorities under PSA (%)**	14.17	12.08%	12.74	15
19	**Gross N.P.A**	5042.83	5223.27	5099.35	
	Provision	2263.09	2790.54	2571.05	
	Net NPA	2779.74	2432.73	2528.30	
	Gross NPA Percentage	6.33	6.10%	5.87%	
	Net NPA Percentage	3.48	2.84%	2.91%	
20	**Branch Net-Work (in no.)-Rural** **Semi-Urban** **Urban** **Total**	1496 780 724 3000	1497 785 726 3008	1498 785 729 3012	
21	**ATM installed in Jharkhand**	3480	3557	3471	

*Annexure- V,

As per Annexure - I, Annexure-II, Annexure-III, Annexure-IV, Annexure -XIX

पर्यवेक्षण

जमा वृद्धि (Deposit Growth)

झारखंड राज्य में बैंकों की सकल जमा में पिछले एक साल में, यानि 30 जून, 2017 से 30 जून 2018 तक रूपये 10835.51 करोड़ की वर्ष-वार वृद्धि हुई है | वर्ष-दर-वर्ष सकल जमा में 5.78 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है |

ऋण वृद्धि (Credit Growth)

राज्य में बैंकों के कुल क्रेडिट में पिछले एक साल में रूपये 7207.78 करोड़ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई | वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की दर 9.04 प्रतिशत दर्ज की गई है |

क्रेडिट – जमा अनुपात (C.D Ratio)

यद्यपि 30.06.2017 की तुलना में 30.06.2018 में CD ratio में वृद्धि दर्ज की गई है, परन्तू पिछली तिमाही में बैंकों का सीडी अनुपात 60.31% हो गया था जो पुनः आंशिक रूप से कम होकर जून 2018 में 59.35 % रह गया है, जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 60% से कुछ कम है | सभी बैंकों को इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है |

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम (PSA)

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम में वर्ष–दर-वर्ष आधार पर 14.38% की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्तमान में समग्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 52.46 % है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 40 प्रतिशत से ज्यादा है।

कृषि अग्रिम (Agriculture Credit)

31 मार्च 2018 को कृषि अग्रिम रू. 13485.92 करोड़ था जो कुल अग्रिम का 15.77 प्रतिशत था। यद्यपि पिछली तिमाही में कृषि ऋण के अंतर्गत रू. 1008.29 करोड़ संवितरित किये गए हैं, परंतू वर्तमान में कृषि क्षेत्र का अग्रिम कुल अग्रिम का 15.55 % है, जो कि राष्ट्रीय बेंचमार्क 18% से कम होने के कारण एक चिंतनीय प्रश्न है और बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में अपेक्षित ऋण प्रवाह नहीं किये जाने की ओर स्पष्ट संकेत करता है | लगभग प्रत्येक SLBC की त्रैमासिक बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की जाती रही है परंतू अब यह लाजिमी ही गया है कि सभी बैंको को विशेष कार्ययोजना बनाकर कृषि ऋण में वृद्धि करने के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा |

कमजोर वर्ग (Weaker Section)

30 जून 2018 तक झारखण्ड राज्य में कमजोर वर्ग को रूपये 14937.72 करोड़ (17.19 प्रतिशत) का ऋण दिया गया है जो राष्ट्रीय बेंचमार्क 10 प्रतिशत से बेहतर है।

महिलाओं को ऋण (Advance to Women)

30 जून 2018 तक महिलाओं को दिये गए ऋण का कुल शेष (O/S) रू. 11455.11 करोड़ है, जो की कुल अग्रिम का लगभग 13.19 % है | यह राष्ट्रीय बेंचमार्क 5% से ऊपर है |

अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण (Advance to Minority Community)

30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदत्त ऋण रूपये 5806.86 करोड़ है । यह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 12.74 % है, जो मानक 15 प्रतिशत से कम है | इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए सभी बैंकों को ध्यान देने की आवश्यकता है |

30 जून 2018 को राज्य का ऋण-जमा अनुपात

भारतीय रिजर्व बैंक के **MASTER CIRCULAR. No – RPCD.CO.LBS.BC.No. 9/02.01.001/2014-15,** दिनांक 0**1.07.14** के अनुसार बैंकों का ऋण जमा अनुपात का मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर होने वाले उपयोग और आर आई डी एफ के अनुसार किया जाना है।

तदनुसार, **झारखण्ड राज्य का ऋण –जमा अनुपात निम्नवत है** :-

(Rs in crore)

DETAILS		**30th June, 2017**	**30th June, 2018**	
Aggregate Deposits		**187378.77**	**198214.28**	
CORE ADVANCES	**79655.39**		**86863.17**	
As per place of Utilization	**22836.88**		**25752.98**	
RIDF	**4380.75**		**5029.37**	
NET ADVANCES	**106873.02**		**117645.52**	
ऋण-जमा अनुपात		**57.04**	**59.35**	

(परिशिष्ट-4, परिशिष्ट - 5)

नोट : कृपया ऋण – जमा अनुपात का विस्तृत विश्लेषण हेतु संलग्नक का संदर्भ लें जिसमें विभिन्न पैरामीटर ग्रामीण/अर्द्धशहरी/शहरी केन्द्र, बैंकवार और जिलावार समीक्षा आदि से संबंधित पूर्ण विवरण संलग्न है।

हम यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करना चाहेंगे कि मार्च 2018 की तुलना में राज्य का CD Ratio 60.31% से कम होकर जून 2018 में 59.35% रह गया है | यद्यपि बैंको के समग्र ऋण में वृद्धि हुई है और हमारा core CD Ratio 43.17% से बढ़कर 43.82% हो गया है परन्तु पिछली तिमाही में HDFC Bank द्वारा Place of Utilisation के तहत रु 3657.34 करोड़ दर्शाया गया था जिसे इस तिमाही के अंत में शून्य दर्शाया गया है, जिसके कारण राज्य के CD Ratio में कमी आई है |

कार्यसूची सं.	4
बैठक का दिनांक	10.08.2018
बैठक संख्या	64

4.1 वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के तहत उपलब्धियों की समीक्षा : 30 जून 2018 तक

30 जून 2018 की स्थिति के अनुसार वार्षिक ऋण योजना 2018-19 के क्रियान्वयन में बैंकों का पिछले वर्ष की तुलना में सेक्टर वार उपलब्धि:

(रू करोड़ में)

SECTOR	ANNUAL TARGET (2017-18)	ACHIEVEMENT IN AFY 2017-18		ANNUAL TARGET (2018-19)	ACHIEVEMENT IN AFY 2018-19	
	AMT.	AMT	%	AMT.	AMT	%
1	2	3	4	5	6	7
Agriculture	**7682.37**	3757.56	**48.91**	**8336.60**	1008.29	**12.09**
MSME	**7329.51**	10337.95	**141.05**	**8560.35**	3086.26	**36.05**
OPS	**3821.41**	2132.47	**55.80**	**4213.60**	694.50	**16.48**
Total Priority	**18833.29**	16227.98	**86.16**	**21110.55**	4789.05	**22.68**
Non Priority	**8582.15**	8605.03	**100.26**	**8773.34**	3729.85	**42.51**
Total	**27415.45**	24833.01	**90.58**	**29883.89**	**8518.90**	**28.50**

कृषि ऋण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कुल अग्रिम एवं CD ratio में विभिन्न जिलों एवं बैंको द्वारा प्राप्त किये गए उपलब्धि प्रतिशत को पृष्ठ सं-**7**(a) में दर्शाया गया है |

टिप्पणियां :

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही दौरान वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 28.50 % समग्र ऋण का संवितरण हुआ है । यह उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही में हुई 30.85 % संवितरण की तुलना में अपेक्षाकृत कम है, परंतू सभी बैंको के सामूहिक प्रयास से आगामी महीनों में इसमें अपेक्षित वृद्धि लायी जा सकती है |
- कृषि क्षेत्र में कुल वार्षिक योजना के विरुद्ध केवल 12.09 % ऋण का संवितरण ही हो पाया है | कृषि क्षेत्र में ऋण संवितरण की स्थिति में और अधिक सुधार की आवश्यकता है | सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है की वे नाबार्ड के तत्वाधान में हुए SLBC-agriculture sub-committee की बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों जैसे कि-कम से कम 30% कृषि ऋण का सविंतरण मियादी ऋण के रूप में सुनिश्चित करना, दुग्ध उत्पादन , मतस्य पालन, मुर्गी पालन एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियों के लिए ऋण देना इत्यादि को अपनी शाखाओं के माध्यम से पूरी दृढ़ता के साथ लागू कराने का प्रयास करें ताकि कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रवाह बढाया जा सके |
- MSME sector में इस वित्तीय वर्ष में बैंकों द्वारा MSME के वार्षिक बजट के विरुद्ध 36% की उपलब्धि सराहनीय है |
- 2017-18 के लिए दिये गए ACP के विरुद्ध बैंकवार एवं जिलावार हुई उपलब्धि को annexure-6 में दर्शाया गया है एवं Agriculture Term Loan में बैंकवार एवं जिलावार segment wise संवितरण और o/s का रिपोर्ट annexure-7 में दिया गया है |

कार्यसूची सं.	5
बैठक का दिनांक	10.08.2018
बैठक संख्या	64

5. REVIEW OF LENDING ऋण की समीक्षा

5.1. कृषि एवं किसान क्रेडिट कार्ड

राज्य में सभी बैंकों का कुल कृषि साख 30.06.2018 की स्थिति के अनुसार रू. 13510.82 करोड़ है जो सकल ऋण का 15.55 **%** है। यह राष्ट्रीय मानक 18 प्रतिशत से कम है। बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों**,** नाबार्ड एवं अन्य संबंधित हितधारकों के सामूहिक प्रयास से इसे पुन: बेंचमार्क 18% से ज्यादा किये जाने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए |

झारखण्ड में के सी सी की स्थिति (STATUS OF KCC IN JHARKHAND)

(Amt. In Crores)

Type Of Banks	Disbursement during 2018-19		Outstanding In KCC A/Cs As of 30.06.2018	
	A/C	Amt.	A/C	Amt.
Public Sector Banks	60360	208.72	1224202	4878.79
Pvt. Banks	6557	26.04	33088	170.76
Total				
RRB	15415	64.48	363206	1416.20
Co-op Banks	283	0.95	18700	31.50
Total	**82615**	**300.19**	**1639196**	**6497.25**

(KCC से संबंधित प्रतिवेदन annexure-8 में उल्लिखित है)

- सभी सामान्य के सी सी खातों को Smart K.C.C खातों में परिवर्तित कर उन खातों मे आवश्यक तौर पर Rupay Card जारी कर देना था, ताकि यह ATM एवं POS में भी कार्य कर सके । दिनांक 31.03.2018 तक बैंकों द्वारा दिये गए आंकड़े के अनुसार कुल 1475438 eligible KCC खातों में से 1289214 खातों में रूपे कार्ड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है जिसके विरुद्ध 1263435 खातों में (98%) rupay debit card निर्गत किये गए हैं।
(विवरण पृष्ठ सं-8(a) एवं 8(b) में संलग्न है)

5.2. (क) सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण

5.2.1. सुक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्यमों का वित्त पोषण (एम एस एम ई)

(Accounts in thousands) (Amt. in crore)

Sl. No.	Particular			Outstanding position as at the end of	
				June 2017	**June 2018**
(1)	(2)			(3)	(4)
MICRO & SMALL ENTERPRISES					
1	**Micro Enterprises**		**Accounts**	**451**	**539**
			Amount	**10242.99**	**12172.70**
2	**Small Enterprises**		**Accounts**	**69**	**46**
			Amount	**7585.04**	**8150.67**
3	**Total Micro and Small Enterprises (MSE sector)**		**Accounts**	**520**	**585**
			Amount	**17828.03**	**20323.37**
MEDIUM ENTERPRISES					
4.	**Total of Medium Enterprises**		**Accounts**	**30**	**07**
			Amount	**1380.28**	**1885.35**
MSME					
TOTAL MSME (PRIORITY SECTOR ADVANCES)			**Accounts**	**550**	**592**
			Amount	**19208.31**	**22208.72**
5.	a.	Share of Credit to Micro Enterprises in total credit to MSE sector	Percent share of amounts **(stipulation: 60%)**	**57.45%**	**59.90%**
	b.	Share of credit to MSE sector in NBC/ ANBC	Percent share of amount	**22.38%**	**23.44%**

(MSME रिपोर्ट –annexure-9)

<u>COVERAGE UNDER CGTMSE (for eligible Loans Upto Rs. 2.00 Crore in MSE)</u>
<u>(Position as on 30.06.2018)</u>

(A/C in 000, Amt.in Cr.)

Eligible MSE loan up to Rs. 2.00 Crore		Coverage under CGTMSE	
TOTAL		**TOTAL**	
A/C	**Amt**	**A/C**	**Amt.**
401	**18082.83**	**114**	**4454.72**

(रिपोर्ट पृष्ठ सं- 9 a में सलंग्न है)

<u>टिप्पणियां</u>

- झारखंड में कुल एमएसई में माइक्रो सेक्टर क्रेडिट की हिस्सेदारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार 60% की बेंच मार्क के विरूद्ध जून, 2018 मे 59.90 % है।
- बैंको द्वारा प्रदत जानकारी के अनुसार ,झारखण्ड राज्य मे, रु. 2 करोड़ की सीमा के अंदर कुल 4.01 लाख (लगभग) MSE ऋण खातें हैं, जो cgtmse coverage के लिए eligible हैं, परंतु इनमे से केवल 1.14 लाख (लगभग) ऋण खातों में, यानी कि सिर्फ 28.42 % खातों में ही CGTMSE कवरेज लिया

गया है | RBI एवं SLBC के बार बार आग्रह के बावजूद बैंको द्वारा इसकी reporting में सुधार नहीं किया जा रहा है |

5.2 (ख) "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना"

दिनांक 8 अप्रैल,2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई | यह योजना मुख्यत: गैर-कृषि क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को बैंक द्वारा वित्त पोषण के लक्ष्य से शुरू की गई थी | परंतु वर्तमान में DFS, Ministry of Finance, GOI के पत्रांक - 29/2/2016-IF-2 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा कृषि क्षेत्र के Allied Activities -e.g. Pisciculture, beekeeping, poultry, diary, fishery, agriclinics & agribusiness centres, food & agro processing एवं इन गतिविधियों को सहारा देने वाली वैसी सेवाएँ जो जीविकोपार्जन अथवा आय अर्जन को promote करती हैं, इत्यादि को भी 01.04.2016 से PMMY के तहत शामिल कर लिया गया है | PMMY योजना के तहत दिये जाने वाले सभी ऋणों का NCGTC (National Credit Guarantee Trustee Co Ltd) द्वारा guarantee cover (CGFMU-Credit Guarantee for Mudra Unit) सुनिश्चित किया गया है |

इस योजना की राज्य में प्राप्त उपलब्धि निम्नलिखित है:

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में झारखण्ड की उपलब्धि (01.04.18 से 30.06.18 तक)

(राशि करोड़ में)

	शिशु		किशोर		तरुण		TOTAL	
	NO	AMT	NO	AMT.	NO	AMT.	NO	AMT.
Sanctioned	22862	65.20	15844	357.99	3676	291.97	42382	715.16
Disbursed	22685	56.05	15811	301.55	3655	255.50	42151	613.10

MUDRA पोर्टल पर दिये गए आंकड़ों के अनुसार राज्य में MIcro Finance Institutions के द्वारा लगभग 294468 खातों में रु 808.10 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है और 294468 खातों में रु 718.59 करोड़ की राशि वितरित की गई है | इस तरह MUDRA योजना के तहत राज्य में अब तक कुल 336619 खातों में रु 1331.69 करोड़ की राशि का संवितरण हुआ है |

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-10 (a) एवं 10(b) में सलंग्न है)

5.2 (ग) स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना

स्टैंड अप इंडिया ऋण योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की उपलब्धि 30.06.2018 तक SIDBI के पोर्टल के आधार पर इस प्रकार है-

Total Beneficiaries	Women Beneficiaries	Male Beneficiaries	Out of total Beneficiaries, SC/ST Beneficiaries	Loan Sanctioned Amt (Rs in Cr)	Loan Disbursed Amt (Rs in Cr)
52	50	02	04	53.19	

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-10(c) में सलंग्न है)

5.3. शिक्षा ऋण Education loan

शिक्षा ऋण योजना के तहत्त बैंको का निष्पादन

(Amt. in crore)

Particulars	As on 30.06.17	As on 30.06.18				Total As on 30.06.18	GROWTH Y-O-Y IN EDU. LOAN	DISBURSEMENT DURING FY 2018-19
		Public Sector Bank	Private Sector Bank	RRB	Coop. Bank			
No. of Accounts	61098	65203	395	855	5	66458	594.13	4175
Amount (In crore)	2554.35	3109.70	12.47	26.14	0.17	3148.48		230.84

(Annexure-10)

- वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही तक शिक्षा ऋण के तहत कुल 4175 खातों में 230.84 करोड़ रु की राशि के संवितरण की रिपोर्टिंग की गई है |
- RBI के प्रावधानों के तहत रु. 4.00 लाख तक के शिक्षा-ऋण में किसी भी तरह के SECURITY की आवश्यकता नही है, एवं रु.7.50 लाख तक के बिना SECURITY या GUARANTEE पर दिया गया शिक्षा ऋण पर CREDIT GUARANTEE उपलब्ध है, इसीलिये रु 7.50 लाख तक के शिक्षा-ऋण C.N.T या S.P.T एक्ट के प्रभाव से मुक्त माना जा सकता है | इसे ध्यान में रखते हुए 54 वीं SLBC बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि SC/ST संवर्ग के योग्य छात्रों को रु.7.50 लाख तक के शिक्षा ऋण देने के लिए बैंकों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जाय |
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल संवितरित ऋण में अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को रु.7.50 लाख तक दिये गए शिक्षा ऋण की स्थिति **(annexure -10 A)** इस प्रकार है:

	स्वीकृत		वितरित	
	संख्या	राशि (रु करोड़ में)	संख्या	राशि (रु करोड़ में)
कुल दिया गया शिक्षा ऋण (2018-19)			4175	230.84
रु 7.50 लाख तक दिया गया कुल शिक्षा ऋण	1691	79.51	1472	39.59
अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को दिया गया रु 7.50 लाख तक दिया गया शिक्षा ऋण	337	17.27	328	8.99

5.4 आवास ऋण

(आवास ऋण योजना के तहत बैंकों का प्रदर्शन)

(रु .करोड़ में)

Particulars	Up to 30.06.17	30.06.2018				Total Up to 30.06.18	Growth in H/Loan Y-on-Y	Disbursement in AFY 18-19
		Public Sector Banks	Private Sector Banks	RRB	Coop. Banks			
खाता की सं.	71835	71897	5485	912	0	78294	1489.78	5493
राशि	6528.78	7859.38	741.85	40.81	0	8642.05		699.44

(रिपोर्ट –annexure-11)

5.5 CREDIT FLOW TO SPECIAL CATEGORY OF BORROWERS (ऋण लेने वालों की विशेष श्रेणी हेतु ऋण प्रवाह)

5.5.1 अल्पसंख्यक समुदायों हेतु ऋण प्रवाह

30 जून, 2018 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु .करोड़ में)

30 जून, 2017		% Share	30 जून, 2018		% Share
Total P.S.A	Loans to Minority Community		Total P.S.A	Loans to Minority Community	
39840.49	5646.36	14.17%	45573.29	5806.86	12.74%

(रिपोर्ट –annexure-13)

5.5.2 महिलाओं के लिए ऋण प्रवाह

30 जून, 2018 की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है

(रु .करोड़ में)

30 जून, 2017		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN	30 जून, 2018		PERCENTAGE OF CREDIT TO WOMEN
Gross Credit	Of which to Women		Gross Credit	Of which to Women	
79655.39	9451.92	11.86%	86863.17	11455.11	13.19%

(रिपोर्ट –annexure-13)

5.5.3 डीआरआई के लिए ऋण प्रवाह(DRI)

30 जून, 2018 को इस क्षेत्र में बैंकों के प्रदर्शन, नीचे इस प्रकार है:

(रू. करोड़ में)

30 जून, 2017		DRI Percentage in Net Credit	30 जून, 2018		DRI Percentage in Net Credit
Net Credit	DRI		Net Credit	DRI	
79655.39	38.78	0.05%	86863.17	31.15	0.04%

(रिपोर्ट –annexure-12)

5.5.4. SC/ST के लिए ऋण प्रवाह

30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही मे अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण प्रवाह की तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गई है- :

(रू. करोड़ में.)

30 जून, 2017		% achievement	30 जून, 2018		%
Net Credit	Loans to SC/ST		Net Credit	Loans to SC/ST	
79655.39	12892.48	16.18%	86863.17	13052.95	15.02%

(रिपोर्ट –annexure-13)

5.6. Scheme for financing of Women SHG
एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

बैंकों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में पूरे राज्य में 185873 SHGs के S/B खाते हैं , जिनमें से 119644 खातो का credit linkage है, जिसमे कुल रु 935.95 करोड़ स्वीकृत किया गया है और वर्तमान में O/S राशि रू 611.36 करोड़ है |
(रिपोर्ट- Annexure-15)

5.7. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)

एन आर एल एम की उपलब्धि (30 जून, 2018 तक) Source-JSLPS

संकेतक Indicators	Status as on March'18	Addition during AFY-18-19	Cumulative status as on date since Inception
No of Blocks	200	22	222
No of Villages	15733	1001	16734
Total No of SHGs supported by SRLM	132531	11107	143638
Total families supported by SRLM	1597905	134095	1732000
No. of VOs formed	7229	498	7727
No. of CLF formed	240	36	276
No of SHG receiving R.F	55741	13103	68844
Amt. of RF disbursed (Rs in Lacs)	8361	1965	10326
No of SHG receiving CIF	33901	3048	36949
Amt of CIF disbursed (Rs in Lacs)	18783	1524	20307
No. of SHG credit linked with Banks	66166	1806	68422
Amt of credit availed from Banks (Rs in lacs)	49005.45	1806	50811.45

- वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम तिमाही के दौरान बैंको द्वारा SLBC के पोर्टल पर प्रदत्त जानकारी के अनुसार कुल 3999 SHGs को credit लिंक किया गया है, जबकि JSLPS के द्वारा इस अवधि में credit linked किये गए SHGs की संख्या 1806 बताई गई है | JSLPS से अनुरोध है कि वे बैंको से अद्यतन जानकारी लेकर अपनी रिपोर्टिंग में आवश्यक सुधार कर सही आंकड़े SLBC को प्रेषित करें |
(JSLPS से प्राप्त SHG का बैंकवार एवं जिलावार प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या-13 (a) एवं 13 (b) में दिया गया है |)

कार्यसूची सं.	**6**
बैठक की तिथि	**10.08.2018**
बैठक की संख्या	**64**

वित्तीय समावेशन एवं प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति

A. BC (बैंक मित्र) द्वारा SSA के कवरेज की स्थिति

SSA की कुल संख्या	BC द्वारा SSA का coverage (Fixed Location)	बैंक शाखा द्वारा SSA का coverage	uncovered	No of Micro ATMs enabled & allotted to BCs	No of Pin Pads enabled & allotted to BCs
4178	**3709**	**469**	**Nil**	**3580**	**5140**

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -14 (a) & 14 (b)}

B Online transaction करने वाले BC की स्थिति

बैंको द्वारा नियुक्त किये गए BC की कुल संख्या	Online transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से कम प्रतिदिन transaction करने वाले BC की कुल संख्या	50 से 100 transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या	100 से ज्यादा transaction प्रतिदिन करने वाले BC की कुल संख्या
6096	**5321**	**3145**	**951**	**1225**

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -14 (c)}

C. PMJDY के तहत 30.06.2018 तक खोले गए खातों की स्थिति

30.06.2018 तक खोले गए खातों की संख्या			PMJDY खातों मे जारी किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	आधार Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	मोबाइल Seeding किये गये PMJDY खातों की संख्या	बैंकों द्वारा वितरित किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या	बैंकों द्वारा activate किये गये कुल रूपे कार्ड की संख्या
ग्रामीण	शहरी	कुल					
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
8191131	3196743	11387874	8318991	10252415	8029336	6902342	5416299

{रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या -14 (d) & 14 (e)}

NB: (Coloumn A, B, C, D एवं E की जानकारी DFS portal से ली गई है जबकि Coloumn F, G एवं H में दी गई जानकारी बैंकों द्वारा दी गई है)

यद्यपि पीएमजेडीवाइ योजना के तहत खोले गए खातों में अब तक कुल 8318991 रुपे कार्ड जारी किए गए हैं , परन्तु प्राप्त सुचना के आधार पर यह पता चल रहा है कि जारी किये गए रुपे कार्ड में से केवल 6902342 कार्ड ही अब तक वितरित किये गए हैं और उनमे से भी अब तक केवल 5416299 खातों में रुपे कार्ड activate हो पाया है | बैंकों/LDMS से आग्रह है कि वर्तमान समय में Cashless transaction को बढ़ावा देने के लिए शत प्रतिशत रुपे कार्ड का activation करना अत्यंत जरुरी है ,

और BCs द्वारा किये जाने वाले प्रतिदिन transaction की संख्या को बढाने के लिए सतत प्रयास किये जाने की आवश्यकता है |

राज्य में PMJDY खातों में दिये गए ओवरड्राफ्ट facility एवं death claim settlement से संबधित बैंकों से प्राप्त आंकडा पृष्ठ संख्या-15 (a) में दर्शाया गया है |

प्रधानमंत्री जन-धन योजना" के द्वितीय चरण में, जन सुरक्षा हेतु, लागु किये गये, विभिन्न बीमा एवं पेन्शन योजनाएं :

दिनांक: 30.06.2018 तक इन योजनाओं में सभी बैंकों की उपलब्धि निम्नवर्णित है-

PMJJBY	PMSBY	APY	
Total Enrolment	Total Enrolment	Enrolment during 18-19	Total Enrolment since inception
637155	**3176906**	**19635**	**228736**

(रिपोर्ट पृष्ठ सं-15 (b) सलंग्न है)

<u>वित्तीय समावेशन एवं BRANCH EXPANSION पर भारतीय रिज़र्व बैंक का अद्यतन दिशानिर्देश एवं 5000 से ऊपर के गावों में बैंकिंग शाखा खोलने संबन्धित रोडमैप</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व के निर्देशानुसार 5000 से ज्यादा आबादी वाले सभी गाँवों में दिनांक 31.03.17 तक बैंक की शाखा खोलना अनिवार्य किया गया था | झारखण्ड राज्य में ऐसे 259 गाँवों को चिन्हित किया गया था एवं पाया गया था कि इनमे से 122 गाँवों में ही बैंक की शाखा मौजूद है , बाकी के 137 गाँवों को विभिन्न बैंकों को आवंटित कर उन्हें brick & mortar branch खोलने के लिए सूचित किया गया था |

आरबीआई के नये दिशा निर्देश के अनुसार सप्ताह में **कम से कम पांच दिन, प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे** एक नियत स्थल पर कार्य कर रहे BC को **बैंकिंग आउटलेट',** माना जा सकता है | इस निर्देश के अनुसार निर्धारित सभी 137 गाँव मे बैंक की शाखा या FIXED LOCATION BC खुल चुके हैं।

कार्यसूची सं	7
बैठक का दिनांक	10.08.2018
बैठक सं	64

एन पी ए & वसूली - एन पी ए/ बैंकों के स्ट्रेस्ड आस्तियों के रुकाव हेतु नियंत्रक उपाय एवं वसूली से संबधित उपाय

गैर निष्पादनीय आस्तियां

राज्य के बैंकों में दिनांक 30 जून 2018 को एन पी ए की स्थिति निम्नवत है -:

[राशि करोड़ में]

विवरण	30.06.2017	31.03.2018	30.06.2018	Variation over last FY
Advances	79655.39	85518.63	86863.17	7207.78
Gross NPA	5042.83	5223.27	5099.35	56.52
Provision	2263.09	2790.54	2571.05	307.96
Net N.P.A	2779.74	2432.73	2528.30	(-)251.44
Percentage of Gross NPA	**6.33%**	**6.10%**	**5.87%**	**(-)0.36%**
percentage of Net NPA	**3.48%**	**2.84 %**	**2.91%**	**(-)0.57%**

(रिपोर्ट- annexure-19)

झारखंड राज्य में बैंकों की गैर निष्पादनीय आस्तियां (N.P.A), एक चिंताजनक स्थिति में पंहुच चुकी है | रु 5223.27 करोड़ का gross NPA, जो सकल अग्रिम का 5.87 % है , एक चिंताजनक आंकड़ा है | **(विभिन्न segment में राज्य में मांग और वसूली से संबंधित आंकड़े annexure-17 एवं 18 में सलंग्नक के रूप में दर्शाये गए हैं |)**

सर्टिफिकेट केस का स्थिति

दिनांक 30 जून 2018 को राज्य के बैंकों में सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों की स्थिति इस प्रकार है:

[राशि करोड़ में]

Cases pending upto last quarter		Cases Filed during last Qrtr.		Cases dispoed during last Qrtr.		status as on 30.06.2018	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	संख्या	राशि
112191	165.28	11785	70.74	2301	20.69	121675	215.33

(रिपोर्ट- annexure-20)

DRT केस की स्थिति

दिनांक 30 जून 2018 तक बैंकों के डी आर टी केसों की स्थिति इस प्रकार है :-

[राशि करोड़ में]

Cases pending as of last quarter		Cases Filed during last Quarter		Cases Resolved during last Quarter		Status as of 30.06.2018	
सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
1895	744.37	423	31.24	143	16.77	2175	758.84

(रिपोर्ट- annexure-21)

SARFAESI केस की स्थिति

दिनांक 30 जून, 2018 तक SARFAESI cases की position निम्नवत है:

(Rs in Cr)

Notices Issued U/S 13 (2) of SARFAESI Act		Out of which symbolic possession taken under 13(4)		Request sent to Dist Authority for assistance in Physical Possession		Physical Possession taken		No. of cases pending at dist. level
A/C	Amt	A/C	Amt	A/C	Amt	A/C	Amt	A/C
5047	1660.52	2445	652.13	583	3831.87	58	64.93	525

(रिपोर्ट- annexure-22)

कार्यसूची सं	**8**
बैठक का दिनांक	**10.08.2018**
बैठक सं	**64**

सरकार प्रायोजित कार्यक्रम

8.1 प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

पीएमईजीपी के तहत्त आवेदनों के ई-ट्रैकिंग के लिए प्रस्तावित सेवाएँ अधिकांश बैंकों के द्वारा अपने बेवसाइट पर समाविष्ट कर ली गई हैं । इस प्रक्रिया के लिए KVIC के द्वारा सभी बैंकों को उनके द्वारा system number उपलब्ध कराने के पश्चात् User ID और Password दिये जाने का प्रावधान किया गया है | प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंकों द्वारा PMEGP लोन की प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही की जा रही है | SLBC द्वारा PMEGP पोर्टल से ली गई जानकारी के अनुसार दिनांक **30.06.2018** तक की स्थिति इस प्रकार है-

(राशि करोड़ में)

Forwarded to Banks		Sanctioned by Banks		Rejected/ Returned for rectification		Pending	
No	MM involved	No	MM involved	No	MM involved	No	MM involved
836	**21.82**	**48**	**1.29**	**140**	**3.71**	**722**	**18.89**

(पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 30.06.2018 की स्थिति annexure-14 पर दर्शायी गई है)

8.2 NULM & PMAY

शहरी विकास विभाग से प्राप्त NULM से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट संख्या-18 (a) में एवं PMAY से सम्बधित प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट संख्या-18 (b) में दर्शायी गई है |

कार्यसूची संख्या	**9**
बैठक की तारीख	**10.08.2018**
बैठक संख्या	**64**

RSETI & FLCC का परिचालन

झारखंड राज्य में आरसेटी की वर्तमान स्थिति निम्नांकित है : (as of **30.06.2018)**
झारखन्ड राज्य के 24 जिलों में निम्नलिखित सूची के अनुसार , विभिन्न बैंको के द्वारा 24 आरसेटी और 1 रुडसेटी संचालित किया जा रहा हैं |

बैंक ऑफ इंडिया	-	11 जिले
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	-	8 जिले
इलाहाबाद बैंक	-	3 जिले
पंजाब नेशनल बैंक	-	2 जिले
कुल		24 जिले
एवं रुडसेटी (रांची जिले की सिल्ली में केनरा एवं सिंडिकेट बैंक द्वारा संचालित**)**		1 जिला

AFY 18-19 का वार्षिक लक्ष्य :
प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -573 ; प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 17110
उपलब्धि: प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या -111 प्रशिक्षनार्थियों की संख्या - 3457
{ विभिन्न RSETIs से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-19 (a)}

RSETI भवन निर्माण की अद्यतन स्थिति,

कार्य सम्पूर्ण/ नये भवन में RSETI का संचालन	**-**	**07**
भवन निर्माण कार्य लगभग सम्पूर्ण/finishing work जारी	**-**	**08**
भवन निर्माण कार्य प्रगति पर	**-**	**09**
भवन निर्माण से संबंधित कोई भी कार्य प्रारंभ होना बाकी	**-**	**01**

(सभी RSETI निदेशकों से प्राप्त विवरणी पृष्ठ सं-19 (b) से 19 (d) में संलग्न है)

RSETI प्रशिक्षार्थीयों की बैंकों से वित्तीय संबन्धता (CREDIT LINKAGE) की स्थिति :

AFY 2017-18 के दौरान		**AFY 2018-19 के दौरान**	
कुल प्रशिक्षनार्थी	**Credit Linked**	**कुल प्रशिक्षनार्थी**	**Credit Linked**
17660	**2461**	**3457**	**184**

(विभिन्न RSETIs से प्राप्त रिपोर्ट- पृष्ठ संख्या-19 (e) एवं 19 (f) पर उपलब्ध है)

वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) का संचालन

वर्तमान में 24 वित्तीय साक्षरता एवं ऋण परामर्श केंद्र (FLCCs) झारखंड के राज्य में परिचालन कर रहे हैं :

बैंक का नाम	बैंक वित्तीय साक्षरता केन्द्र परिचालन (**जिला स्तर पर)**	**संख्या**
बीओआई	रांची, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम (पश्चिम), सिंहभूम (पूर्वी), गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, चतरा, खूंटी, सराइकेला, सिमडेगा	**15**
एसबीआई	देवघर, पाकुर, साहिबगंज, जामताड़ा, गढ़वा, लातेहर,पलामू	**7**
इलाहाबाद बैंक	दुमका व गोड्डा	**2**

उपरोक्त बैंको के अलावा निम्नलिखित ग्रामीण बैंको के शाखाओं द्वारा भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र का सञ्चालन किया जाता है ,

झारखण्ड ग्रामीण बैंक - 15 केन्द्र ; **वनांचल ग्रामीण बैंक** - 9 केन्द्र

इसके अलावे झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक भी पिछले कुछ महीनों से 3 वित्तीय साक्षरता (रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम) केंद्र का संचालन कर रही है |

<u>जनवरी-मार्च 2018 तिमाही के दौरान आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर</u>

तिमाही में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर की संख्या	
वित्तीय साक्षरता केंद्र द्वारा	**1161**
ग्रामीण शाखाओं द्वारा	**2263**
कुल	**3424**

{रिपोर्ट-पृष्ठ संख्या-20 (a) एवं 20 (b) पर उपलब्ध है}

कार्यसूची सं	**10**
बैठक की तारीख	**10.08.2018**
बैठक संख्या	**64**

<u>एसएलबीसी के विभिन्न उप समितियों के कामकाज</u>

पहले के एसएलबीसी की बैठकों में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, एसएलबीसी के निम्नलिखित उप-समितियां कार्य कर रही हैं। उप-समितियों से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

एस.एल.बी.सी की उप समितियां

Sr. No	**उप समिति के नाम**	**उप समिति के पदधारी**	**उप समिति के अन्य सदस्य**	**संदर्भ**	**पिछली बैठक की तिथि**
1.	कृषि तथा संबद्ध उप समिति	प्रमुख सचिव / सचिव (कृषि) GOJ संयोजक – नाबार्ड	1)प्रमुख सचिव/ सचिव संस्थागत वित्त 2)प्रमुख सचिव/, सचिव जल संसाधन विभाग। 3) सचिव, वन विभाग। 4) नाबार्ड प्रमुख महाप्रबंधक या डीजीएम के स्तर के बराबर 5) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 6) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 9) रजिस्ट्रार सहकारी समितियां	1)कृषि तथा संबद्ध गतिविधियां, (केसीसी सहित) 2)नई परियोजना/ स्कीम (कृषि) 3) कृषि ऋण देने के लिए क्षमता का विकास	**09.05.2018**
2.	निर्यात संवर्धन	एसएलबीसी के संयोजक बैंक - संयोजक एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव /सचिव स्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन 2) भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विभाग. एजीएम 3) स्थानीय निर्यात संस्था 4)उद्योग विभाग 5) एक्जिम बैंक	1) निर्यात क्रेडिट के तहत ऋण देने की प्रगति की समीक्षा 2)हस्तकला /कृषि के निर्यात में सुधार के लिए सुझाव 3) निर्यात संवर्धन	**प्रस्तावित तिथि 07.08.2018**

			6)अन्य सदस्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओआई, और पीएनबी	के लिए सक्षम कारकों का प्रोत्साहन	
3.	सुरक्षा	प्रमुख सचिव / सचिव (गृह) GOJ संयोजक- एसबीआई	1) एडीजी / पुलिस महानिरीक्षक – परिचालन 2) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ 3) आरबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 4) संयोजक बैंक एसएलबीसी (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 5) एसबीआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि 6) बीओआई (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 7) कोई भी दो प्रमुख बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि) 8) झारखंड ग्रामीण बैंक (आंचलिक प्रमुख या डीजीएम के स्तर के बराबर का प्रतिनिधि)	1) बैंक के ट्रेजरी की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा 2) राज्य की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा / नक्सल क्षेत्र में विशेष रूप से चर्चा 3) बैंक डकैती के मामलों में अंतिम रिपोर्ट 4) बैंक शाखाओं / करेंसी चेस्ट में पुलिस बल की तैनाती	**11.01.2018**
4.	सीडी अनुपात और एसीपी उप-समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक - एसएलबीसी	1) प्रमुख सचिव /सचिव संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, GOJ. 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) पंजाब नेशनल बैंक 7) झारखंड ग्रामीण बैंक 8) केनरा बैंक 9)यूनियन बैंक	1) एसीपी की निगरानी उपलब्धि एवं अनुमानित सीडी अनुपात 2) खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए विशेष रणनीति 3) एसीपी के तहत ऋण देने में वृद्धि के लिए कारकों को सक्षम करने का विकास	**प्रस्तावित तिथि 07.08.2018**
5.	एसएलबीसी परिचालन समिति	एसएलबीसी के संयोजक बैंक संयोजक -	1) संस्थागत वित्त विभाग 2) भारतीय रिजर्व बैंक 3) नाबार्ड	1) नवीनतम स्थिति और सरकार /बैंकों के पास लंबित मुद्दें	**प्रस्तावित तिथि 07.08.2018**

		एसएलबीसी	4) निदेशक, उद्योग 5) आईसीआईसीआई बैंक 6) केनरा बैंक 7) पंजाब नेशनल बैंक 8) बैंक ऑफ इंडिया 9) भारतीय स्टेट बैंक	2) एसएलबीसी कामकाज में सुधार (बैंक /सरकार)	
6.	विधानमंडल और अन्य मुद्दे पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, सहकारी 3) सचिव, राजस्व 4) सचिव, कृषि 5) सचिव, योजना 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) बैंक ऑफ इंडिया 8) इलाहाबाद बैंक 9) भारतीय रिजर्व बैंक	विधानमंडल से संबंधित मुद्दों पर, राज्य में ऋण के माध्यम से विकास के लिए संशोधन और अन्य गतिविधियों के लिए राज्य सरकार एवं बैंकों से चर्चा	**02.02.2015**
7.	एमएसएमई और सरकार पर उप-समिति, प्रायोजित योजनाएं	सचिव, (ग्रामीण विकास) संयोजक- बीओआई	1) सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, संस्थागत वित्त 3) सचिव, उद्योग 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक	सरकार के तहत प्रायोजित योजनाओं में एमएसएमई वित्तपोषण और वित्तपोषण से संबंधित सभी मुद्दे,	18.05.2018 को RBI Empowered **Com**mittee **on MSME** की 38 वीं बैठक बुलायी गई थी।
8	आवास वित्त पर उप-समिति	सचिव (शहरी विकास) संयोजक- एसबीआई	1) सचिव, शहरी विकास 2) सचिव, वित्त 3) राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रतिनिधि 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) दोनों ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष	आवास वित्त पोषण से संबंधित सभी मुद्दें (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र)	**07.11.2017**
9	SHG-Bank Linkage एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, वित्त 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) भारतीय स्टेट बैंक 6) बैंक ऑफ इंडिया 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी. 9) झारखण्ड ग्रामीण बैंक 10) नाबार्ड	आजीविका संवर्धन रणनीतियों पर राज्य स्तर समर्थन- झारखंड	**प्रस्तावित तिथि 06.08.2018**

10	RSETIs पर उप-समिति	सचिव (ग्रामीण विकास) संयोजक - झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसायटी	1) प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास 2) सचिव, आईएफ और पीआई, GoJ 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) एसएलबीसी 5) नाबार्ड 6) भारतीय स्टेट बैंक 7) केनरा बैंक 8) पी.एन.बी. 9) राज्य निदेशक, RSETI	RSETI में प्रशिक्षण एवं उसके उपरांत बैंकों से Credit Linkage से सम्बन्धित मुद्दे	**प्रस्तावित तिथि 06.08.2018**
11	NPA पर उप समिति	सचिव, संस्थागत वित्त संयोजक- एसएलबीसी	1) सचिव, संस्थागत वित्त 2) एसएलबीसी 3) भारतीय रिजर्व बैंक 4) भारतीय स्टेट बैंक 5) बैंक ऑफ इंडिया 6) इलाहाबाद बैंक 7) यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया 8) यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया 9) केनरा बैंक 10) UCO Bank	राज्य में NPA एवं recovery की स्थिति; DRT, Certificate एवं SARFAESI cases	**प्रस्तावित तिथि 07.08.2018**

कार्यसूची सं.	**11**
बैठक की तिथि	**10.08.2018**
बैठक सं.	**64**

विविध कार्यसूची

1. वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 25.09.2017 से 17.10.2017 तक देश के 50 विभिन्न स्थानों पर "मुद्रा प्रोत्साहन अभियान" कार्यक्रम का आयोजन किया गया था | इसके तहत रांची के मोरहाबादी मैदान में दिनांक 12.10.2017 को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमे केंद्र सरकार की ओर से माननीय राज्य मंत्री, नागरिक उड्डयन विभाग, श्री जयंत सिन्हा जी मुख्य अथिति के रूप में उपस्थित थे | इस कार्यक्रम में राज्य सरकार एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के वरीय अधिकारी भी उपस्थित थे | इस कार्यक्रम का आयोजन SLBC, झारखण्ड के द्वारा किया गया था एवं DFS के निर्देशानुसार कार्यक्रम के आयोजन में LIC द्वारा दी गई रु 10.00 लाख की सहयोग राशि के अतिरिक्त किये गए व्यय के आधार पर सभी प्रतिभागी बैंकों से रु 77400/- का contribution की मांग की गई थी | बैंकों के contribution की बात SLBC द्वारा कार्यक्रम के पूर्व में होने वाली बैठकों एवं mail के द्व्रारा सभी बैंको को दी गई थी | लगभग 10 माह बीत जाने एवं बार –बार लिखित एवं मौखिक आग्रह किये जाने के बावजूद IOB ने अब तक अपना contribution SLBC को प्रेषित नहीं किया है | यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है | इस forum के माध्यम से हम IOB के नियंत्रक प्रमुख से आग्रह करते हैं कि यह राशि SLBC को अविलम्ब उपलब्ध करा दी जाये |

(Action: IOB)

2. वर्तमान में पूरे देश में दिनांक 01.06.2018 से 15.08.2018 तक ग्राम स्वराज अभियान-2 का आयोजन किया जा रहा है जिसमे झारखण्ड राज्य 19 aspirational districts में 6512 गाँवों को चिन्हित कर बैंको को वहाँ के प्रत्येक व्यस्क के लिए PMJDY के अंतर्गत उनका खाता खोलवाने और उन्हें शत-प्रतिशत PMSBY एवं PMJJBY के अंतर्गत enroll करवाए जाने का लक्ष्य दिया गया है | झारखण्ड के सभी 19 जिलों ने यह कार्य सफलतापूर्वक 31.07.2018 को ही पूर्ण कर लिया है और तीनों schemes में निर्धारित किये गए लक्ष्य को शत प्रतिशत उपलब्ध कर लिया गया है | ये सभी बैंक एवं LDMs बधाई के पात्र है | हम सभी LDMs से यह आग्रह करते है कि अपने जिलों में village wise दिए गए लक्ष्य को भी शत प्रतिशत प्राप्त कर लें एवं इस उपलब्धि का Saturation Certificate निर्धारित परिपत्र में सभी वांछित अधिकारियों के हस्ताक्षर के साथ SLBC को अविलम्ब प्रेषित करें |

(Action: सभी सम्बंधित बैंक एवं LDMs)

3. DFS द्वारा दिनांक 15.12.2017 एवं 19.12.2017 को भेजे गए मेल में पूरे झारखण्ड राज्य में जिलावार 5 KM के दायरे में 2764 गाँवों को चिन्हित किया गया जहाँ BC की नियुक्ति किये जाने को कहा गया था जिसके सम्बन्ध में बैंको द्वारा जानकारी दिए जाने के बाद पुनः मई 2018 में DFS द्वारा झारखण्ड में कुल 440 locations को uncovered बताया गया था | सभी सम्बंधित LDM से जानकारी लेने के उपरांत अद्यतन स्थिति की जानकारी SLBC के वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गयी है | इससे सम्बंधित LDM से प्राप्त प्रगति प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या 25 (a) पर सलंग्न है , जिसमे नामित बैंकों को विभिन्न जिलों में BC नियुक्त करने के लिए चिन्हित किया गया है | सम्बंधित बैंको से बार बार आग्रह के बावजूद इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पाई है | सभी सम्बंधित बैंको के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह है कि DFS के दिशा निर्देश के अनुसार इन स्थानों पर दिनांक 15.08.2018 तक BC की नियुक्ति अवश्य कर लें और BC का detail SLBC को उपलब्ध करा दें | **(Action: सभी सम्बंधित बैंक एवं LDMs)**

4. DFS के पत्रांक 20/57/2010-FI दिनांक 22.11.2017 के द्वारा LWE जिलों में banking services के expansion के लिए झारखण्ड राज्य के पलामू एवं छतीसगढ़ राज्य के दंतेवाडा जिलों को pilot जिलों के रूप में identify किया गया और वहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण को मद्देनज़र रखते हुए banking outlets establish किये जाने की संभावनाओं को तलाशने के लिए जिला अधिकारियों के साथ बैठक किये जाने का सुझाव दिया गया था, ताकि इन जिलों की प्रगति के आधार पर अन्य LWE जिलों में इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके | इस सम्बन्ध में पलामू जिले में जिले के अधिकारियों द्वारा बैंको के साथ बैठक कर 06 स्थानों को चिन्हित कर बैंक की शाखायें खोले जाने का प्रस्ताव आया था | इन 06 स्थानों पर PNB, BOI, Andhra Bank एवं SBI द्वारा शाखा खोला जाना था | SLBC द्वारा दिनांक 29.01.2018 को इस सम्बन्ध में इन बैंको एवं पलामू जिले के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में चिन्हित स्थानों पर बैंक शखा खोलने हेतु संबंधित बैंक अधिकारीयों को त्वरित कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था | अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं होने के कारण, LDM पलामू से यह आग्रह है कि इस सम्बन्ध में चयनित बैंको एवं जिले के अन्य अधिकारियों के साथ पुनः बैठक कर शाखा अविलम्ब खोलने हेतु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया जाये अथवा चिन्हित स्थानों पर नयी शाखा खोलने हेतु दुसरे बैंको से संपर्क किया जाये जो वहां इसके लिए इच्छुक हों |

Sr No	**Identified locations/blocks**	**Proposed bank's name**	**Proposed place where branch may be opened**
1	Naudiha Bazar	Punjab National Bank	Newly built Block Office premises
2	Pipra	Punjab National Bank	Newly built Block Office premises
3	Pandu	Bank of India	Block Office (under Construction)
4	Lalgarh Bihar	Andhra Bank	Railway Station
5	Ramgarh	State Bank of India	Panchayat Bhavan, Ramgarh
6	Untari Road	State Bank of India	Newly built Block Office premises

(Action:LDM Palamu, PNB, BOI, Andhra Bank एवं SBI)

कार्यसूची सं.	**12**
बैठक का दिनांक	**10.08.2018**
बैठक सं	**64**

Less cash/Digital बैंकिंग

- मानीय प्रधानमंत्री के द्वारा less cash economy को बढ़ावा देने के लिए किये गए आह्वाहन पर झारखण्ड राज्य ने त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई और इसके तहत राज्य में digital transaction को लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं-जिनमे Mobile App download करना और सभी नागरिकों को cashless transaction से जुडे विभिन्न उत्पादों की जानकारी देना है | इसके साथ ही सभी इच्छुक व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में POS machines देने की प्रक्रिया भी की जा रही है | राज्य के सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों/बैंकों द्वारा अपने जिले/बैंकों में इसके लिये नियमित प्रयास किये जा रहे है | इन प्रयासों की बदौलत दिनांक 30.06.2018 तक राज्य में कुल 32633 POS machines का installation कराया जा चूका है जो demonetization के पूर्व यानि दिनांक 09.11.2017 तक केवल 6399 था | यद्पि यह उपलब्धि संतोषजनक है परंतू इस दिशा में अभी और कार्य किये जाने की आवश्यकता है | इसके साथ ही सभी बैंको द्वारा पूरे राज्य में लगभग 3.86 लाख credit card, 1.96 करोड़ debit कार्ड, एटीएम, rupay कार्ड आदि और 22.29 लाख net banking की सुविधा अपने ग्राहकों को दी गई है |

  {प्रगति प्रतिवेदन सलंग्न-पृष्ठ सं-27 (a)}

कार्यसूची सं.	13
बैठक की तिथि	10.08.2018
बैठक सं	64

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा ...

65वी SLBC बैठक की प्रस्तावित तिथि : 28 नवम्बर 2018